

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date:

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir.

Sub:- Forwarding of payment of Dearness Relief to the pensioners/ family pensioners- Revised rates effective from 01-07-2011

Ref:- 1.Prl. Accountant General (A&E) UTTARAKHAND Special Seal Authority No.PA/Pen-/UTTARKHAND/RELIEF/11-12/3319 Dt.22-03-2012

2. Government of UTTARKHAND Finance (GR-PC) Section-7NO14/XXVII(7)02/2012/Dt.21-01-2012

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), UTTARKHAND in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To Joint Director, M J Road, Jambagh Pension Payment Office, Nampally, Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, (ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून) (विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत) दिनांक: 22 +03-12 पत्रांक : पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड/राहत/2011-12/3319

िसेवा में,

प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

31/41/921, 8981914

राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि की मंहगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध (दिनांक 01.07.2011 से 58 %)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—14/XXVII (7) 02/2012 देहरादून दिनांक 21 जनवरी 2012 की प्रतिकआपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि इन्हें अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपके राज्य से प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनरों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(35)

उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा०नि०—वे०आ०) अनुभाग—7 संख्या:|१/XXVII(7)02/2012 देहरादून, दिनांक:24 जनवरी,2012 कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को

महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वि त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:222/xxvii(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 द्वारा दिनांक 01-01-2011 से महंगाई राहत 51 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के कम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 30 सितम्बर,2011 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01-07-2011 से महंगाई राहत की एक और किश्त 7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांकः 01-07-2011 से राहत की दर बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई है।

2— महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

- 3— यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- 4— यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।
- 5— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए— 1—252 / दस / 10(3)—81. दिनांकः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6— महंगाई राहत रवीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

> हें¶लता ढीडिया सचिव, वित्त।

Government of Uttrakhand Finance (G.R.-P.C.) Section -7 N0-14 /XXVII(7)02/2012 Dehradun: Dated 21 January,2012

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 222/XXVII(7)02/2011, dated:30 September,2011 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 January, 2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 7% (Seven Percent) with effect from 01 July, 2011 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 30 September,2011 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2011 has risen to 58%.

- 2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupes shall be rounded, off to next higher rupes.
- 3- These orders will not be applicable to the Judges of Fight Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.
- 4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/. Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.
- 5- As per orders issued in O.M. No: A-1-252/X-10(3)-81 dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, and O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness reasonal laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Hemlata Dhondhiya) Secretary संख्याः /५(C)/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिहिं निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल / कुमाऊं
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- वित्त, आडिट प्रकोष्ट, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

(शरद चन्द्र पाण्डेय) अपर सचिव

No. /XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttrakhand
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt.
- 8- Finance, audit cell, Govt. of Uttrakhand.
- 9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey) Addl. Secretary

उत्तराखण्डशासेन वित्त (सा0नि0—वे0आ0) अनुमाग्र–7 संख्या 🏒 /XXVII(7)02^{-/-}/2012 देहरादून; दिनांक्र**्रे, जनवरी**,2012

कार्यालय ज्ञाप

ाज्य संस्कार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले जिलिल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की दोनकी के सम्बन्ध में।

अनोहरताक्षरों को लपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश में के वित्त (वं0-आo-सा0नि0)अनु0-7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या (अप्रां) (१)02 / 2011 दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा दिनांक अन्य कार्यालय ज्ञाप संख्या (अप्रां) (१)02 / 2011 दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा दिनांक जिल्ला वी एक किश्त की पाउँ पाल द्वारा राज्य करते वी एक किश्त की राज्यपाल द्वारा राज्य कार्य के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल की अपिएक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता भूल्य सूधकांक में कृष्टि की जित्पूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 30 किश्त की जिल्ला में उल्लिखत दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक की जाती है।

वहमाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में जीवत होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

यह आदेश मां उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा ाम के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक कम आदि के सेव्क्कों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में विस्थित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित

भार आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य भारत सहारुता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं अर्थतार पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान अस्य / प्रारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं पर भी लागू होंगे।

शालान के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए— 1-252/दस/10(3)-81. अनुष्कः 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त अन्त आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की अवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत अन्तर्गतान कर दिया जायेगा।

 महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

> (हेमलता ढौंडियाल) सचिव।

Government of Uttrakhand Finance (G.R.-P.C.) Section -7 N0- / /XXVII(7)02/2012 Dehradun: Dated: January,2012

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-224/XXVII(7)02/2011, dated: 30 September, 2011 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01-01-2011 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2011 to 127 %, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 30 September, 2011 refered to above.

- 2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.
- 3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.
- 4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.
- 5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.
- 6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Hemilata Dhondhiyal) Secretary

/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक ातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ापेत्।

- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

ृ - समस्त जिलाधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

अनीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढवाल / कुमाऊं पण्डल।

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

५ महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड़, माअला, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय सं प्रेनित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कृष्ट करें!

6- समरत दरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7- चप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित

yd obam ad linnir M.O skill Johnu ok

कर्नकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

DXXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.
- 5- Accountant General Uttrakhand, Operoy Building, Saharanpur Road, Majra. Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed picase.

6- All Treasury Officers, Uttrakhand.

- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

वाजानम् के चार्काम्, खोक संब

By Order,

(S.C. Pandey) Addl. Secretary